प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, फस्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर एवं लेक्चर थियेटर्स में आवश्यक वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-380/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2017, दिनांक 03 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, फस्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर एवं लेक्चर थियेटर्स में आवश्यक वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1288.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 05,15,35,000/- की धनराशि शासनादेश संख्या-46/2017/1028/71-2-17-आर0एम-25/2016, दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा अवमुक्त की गयी थी, जो गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपरिहार्यकारणोंवश कोषागार से संस्थान द्वारा आहरित नहीं की जा सकी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, फस्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर एवं लेक्चर थियेटर्स में आवश्यक वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रेजेन्टेशन सिस्टम हेतु रू0 05,15,35,000/- (रूपया पांच करोड पन्द्रह लाख पैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 जनवरी, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
5) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ -24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-49/2017/1494(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना पब्रन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) नोडल अधिकारी ई परियोजना चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।